न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 14/2022

उनवान

1. कैलाश चंद यादव पुत्र श्री हनुमान सहाय यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

प्रार्थी

वनाम

1.कैलाश पुत्र नाथू उम्र 45 वर्ष
2 जगदीश पुत्र प्रभात उम्र 46 वर्ष
3 जगन पुत्र प्रभात उम्र 40 वर्ष
4. पुरण पुत्र प्रभात उम्र 39 वर्ष
5. फूलचन्द पुत्र नाथू उम्र 47 वर्ष
6. बंशीधर पुत्र नाथू उम्र 42 वर्ष
7. राजू पत्नी स्वं. हजारी लाल उम्र 40 वर्ष
8. रामनारायण पुत्र प्रभात उम्र 55 वर्ष
9. श्योदान पुत्र नाथू उम्र 52 वर्ष
10.सांवरमल पुत्र नाथू उम्र 43 वर्ष
11.हनुमान पुत्र नाथू, उम्र 44 वर्ष
समस्त जाति अहीर, समस्त निवासी ग्राम बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
12.राजस्थान सरकार (भू–आधार) जरिए तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 7.9.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल खाता संख्या 197 के आराजी खसरा नंबर 558, 560, 563, 571, 572, 573, 575 कुल किता 7 रकबा 1.7500 है0 व हाल खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 564, 566, 567, 576, 578, 579 कुल 6 किता रकबा 1.8800 है0 व हाल खाता संख्या 198 के आराजी खसरा नम्बर 580 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है0 व हाल खाता संख्या 321 के आराजी खसरा नम्बर 574 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर, पटवार हल्का बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। हाल जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पडोसी काश्तकारों ने प्रार्थी के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जो प्रार्थी के पडोसी काश्तकार होने का फायदा उठाकर आये दिन सींव काटते है तथा प्रार्थी की भूमि को जबरन दबाते है जिससे प्रार्थी का शांतिपूर्वक काश्त करना संभव नहीं रहा है।

माननीय न्यायालय ने सन् 2021 में उक्त आराजी का सीमाज्ञान आदेश करवाया था जो कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 23.12.2021 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का दिनांक 25.12.2021 को मौत विरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया गया जिससे प्रार्थी सहमत है। सीमाज्ञान से प्रार्थी को सीमा का ज्ञान हो गया परन्तु स्थायी चिह्न नहीं होने से पडोसी काश्तकार पुनः सींव काट कर दबा रहे हैं जिससे आये दिन विवाद बढ़ने की आशंका बनी रहती है जिस कारण स्थायी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्याय हित में आवश्यक लाजमी है। उक्त खसरा नम्बर के आस–पास के पडोसी काश्तकारों ने सीमाज्ञान पर भी विवाद किया था अब पत्थरगढ़ी पर भी आमादा फिसाद करने की संभावना है जिस कारण जरिये पुलिस इमदाद मौके पर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायनूमत एवं न्याय संगत है। प्रार्थी माननीय श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार मांग के अनुसार राजस्व शुल्क वास्ते पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने को तत्पर है।

अन्त में प्रार्थी ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित हाल खाता संख्या 197 के आराजी खसरा नं0 558, 560, 563, 571, 572, 573, 575 कुल किता 7 रकबा 1.7500 है0 व हाल खाता संख्या 66 के आराजी खसरा नम्बर 564, 566, 567, 576, 578, 579 कुल किता 6 कुल रकबा 1.8800 है0 व हाल खाता संख्या 198 के आराजी खसरा नम्बर 580 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है0 व हाल खाता संख्या 321 के आराजी खसरा नम्बर 574 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर, पटवार हल्का बिलान्दरपुर, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर राज0 का सीमाज्ञान के मुताबिक जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढ़ी अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पर एतराज किया कि सभी पक्षकार के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है इसलिए खारिज फरमाया जावे जिस पर प्रार्थी ने सभी खातेदारों की सहमति पेश करना जाहिर किया जिस पर अप्रार्थीगण का एतराज खारिज किया जाकर जवाब बहस हेतु अवसर दिया गया । अप्रार्थीगण अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थी ने सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अप्रार्थीगण ने कोई नाजायज संगठन नहीं बना रखा है, प्रार्थना पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति के अभाव में खारिज योग्य है। अप्रार्थी ने यह भी जाहिर किया कि दिनांक 25.12.2021 को कोई सीमाज्ञान की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.12.2021 व 10.1.2022 में पुख्ता पोईन्ट का कोई अंकन नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी स्वंय कैलाश ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि मै व मेरे सह खातेदारों ने भूमि का सीमाज्ञान करवाया है, तथा उनकी सहमति पेश कर दी है हम हमारी भूमि पर ही काबिज है तथा हम हमारी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी करवाना चाहते है हम हमारी भूमि पर ही काबिज है तथा यदि किसी के मकान आदि आते है तो हम उनको नहीं हटायेगें, हम तो हमारी भूमि की पत्थरगढी कर आये दिन होने वाले विवाद का निपटारा चाहते हें ।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खाारिज किया जावें ।

हमने उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पाया गया कि उक्त विवादित आराजी दिनांक 9.12.2021, 21.12.2021 व 10.1.2022को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है , तथा प्रार्थी के द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा शेष खातेदारों ने पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमति दी है, तथा मृतक खातेदारों के वारिसान ने सहमति दी हैं । इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रकरण का न्यायहित, जनहित, त्वरित न्याय व त्वरीत न्याय की भावना को मूर्त देने हेतु हस्तगत प्रकरण में अन्य खातेदारों की सहमति के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 558, 560, 563, 571, 572, 573, 575 कुल किता 7 रकबा 1.7500 है0 व आराजी खसरा नम्बर 564, 566, 567, 576, 578, 579 कुल किता 6 रकबा 1.8800 है0 व आराजी खसरा नम्बर 580 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 574 कुल किता 1 कुल रकबा 0.0300 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर, पटवार हल्का बिलान्दरपुर, तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 9.12.2021, 21.12.2021 व 10.1.2022 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 7.9.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला जयपुर)